राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–2/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/12
दायर दिनांक– 31.01.2024
निर्णय दिनांक–18-09-2024

1. चेतन पुत्र घासीराम जाति खटीक नि0 ग्राम निटूटी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थी

बनाम

1. गीता पुत्री कालू
2. भंवरलाल पुत्र कालू
3. मनफूल पत्नि बिरमा
4. सरजू पत्नि कल्याण
5. कमला पत्नि बीरमाराम
6. गुलाब पत्नि कालू (Delete)
7. ताराचन्द पुत्र कल्याण
8. नंदा पुत्र कल्याण
9. नोरत पुत्र कल्याण
10. भगवान पुत्र पूषा
11. माला पुत्र पूषा
12. ओमप्रकाश पुत्र भोमा
13. कानाराम पुत्र भोमा
14. भंवरलाल पुत्र भोमा
15. राजादेवी पत्नि भोमा (Delete)
16. रूपाराम पुत्र हेमाराम
17. नन्दाराम पुत्र रामदेव
    अप्रार्थी संख्या 1 से 17 जाति जाट नि0 ग्राम रामनगर तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर
18. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी अधि0 प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ग्राम रामनगर पटवार
हल्का निटूटी भू–अ0नि0 क्षेत्र रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ के ख0न0 202 रकबा 1.7555 है0 भूमि
एकल कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है तथा मौके पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ
रहा है। प्रार्थी की उक्त खसरा नम्बर की भूमि से उत्तर व पश्चिम दिशा की अप्रार्थी संख्या 1
लगायत 4 के ख0न0 794/201 की भूमि लगी हुई है तथा उत्तर दिशा की अप्रार्थी संख्या 2
लगायत 11 के ख0न0 204 की सीमा [illegible] है। पूर्व व उत्तर में अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 16
के ख0न0 203 व 795/203 की सीमा लगी हुई है, [illegible] अप्रार्थी संख्या 17 के ख0न0
796/203 की भूमि लगी हुई है तथा [illegible] 17[illegible] सरकारी खाते में दर्ज है। अप्रार्थी
संख्या 1 लगायत 17 के द्वारा आये [illegible] हस्तक्षेप [illegible] विवाद उत्पन्न करते है लड़ाई
झगड़ा करते है तथा प्रार्थी की एकल खातेदारी [illegible] सींव सींव मेढ़ को लेकर व्यवधान
करते है। प्रार्थी की एकल खातेदारी की कृषि भूमि [illegible] सीमाज्ञान करवाने के लिए त[illegible]
रूपनगढ को प्रार्थना पत्र दिया गया जिस पर प्रार्थी की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि [illegible]
सीमाज्ञान करने के आदेश पटवारी हल्का व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान
किया गया। प्रार्थी एकल खातेदारी की कृषि भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है अप्रार्थी
संख्या 1 लगायत 17 के द्वारा आये दिन सींव को लेकर विवाद करते रहते है एवं अप्रार्थी संख्या 1

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:24:58 IST
Reason: SelfAttested

तगायत 17 के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि की सींव उखाड़ने पर आमादा हो जाते है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानी होती है प्रार्थी की वाद वर्णित ख0न0 की कृषि पर पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी निर्बाध रूप से एकल खातेदारी की कृषि आराजी पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है प्रार्थी जब दिनांक 10.1.2024 को अपने खेत की देखरेख, सूड़ करने गया तब अप्रार्थीगण ने गाली गलोच करना प्रारम्भ कर दिया तथा भूमि बलात कब्जा करने की धमकी दी और कहा तुझे खेती करने का अधिकार नही है तब से वाद कारण निरंतर जारी है। इसलिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) पेश किया गया जिसको स्वीकार किया जाकर प्रकरण से अप्रार्थी संख्या 6 व 15 के नाम हटाये जाने के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 व 7 से 14, 16, 17 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी ख0न0 202 ग्राम रामनगर का रिकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने का पात्र है। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रामनगर के ख0न0 202 रकबा 1.7555 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में मौके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद ना हो तो नियमानुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:24:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)